वन आश्रितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं : रजनीश



पलिया-खीरी (विधान केसरी)। भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण किये लाकडाउन को यहां के वनविभाग द्वारा शोषण का हथियार बना लिया गया है। यहां बसे थारू जनजाति के गाँवों में बसे थारू जनजाति के लोगों को लगातार झुठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वनाधिकार कानून और

अपने पारम्परिक अधिकारों के तहत जलौनी लकड़ी व लघुवनोपज के एकत्रीकरण के लिये गयी महिलाओं को अपमानित करना और लोगों पर झुठे मुकदमें लादने सहित बडी रकम में अवैध तरीके से जुमार्ने वसूल करने की घटनायें लगातार अंजाम दी जा रही हैं। इसके अलावा ग्राम कजरिया में लोगों की शिकायत है कि उनके गाँव के चारों तरफ

6 से 7 मीटर गहरी खाई खोद दी गयी है, जिससे गांव के पानी की निकासी बाधित हो रही है और गाँव के लोगों का अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिये ले जाना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों से झुठ बोला जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण हुए लाकडाउन में उन्हें जंगल जाने की इजाजत नहीं है। जबिक केन्द्रीय

गृहमंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2020 को ही आदेश जारी करके अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वननिवासियों को लघुवनोपज के एकत्रीकरण की छूट प्रदान कर दी गयी थी। इन्हीं सब मुद्दों को उठाते हुए शनिवार को सुरमा से लेकर कजरिया तक तमाम गाँवों की महिलाओं ने इकट्टा होकर उपजिलाधिकारी पलियाअध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को एक ज्ञापन सौंपा। जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा 2 दिन बाद बातचीत करने का आश्वासन दिया है। इस ज्ञापन में थारू महिलाओं द्वारा चेतावनी भी दी गयी है कि अगर समय रहते वन विभाग की इन कारगुजारियों पर रोक नहीं लगी तो उन्हें मजबूर होकर जमीन पर उतर कर आंदोलन करना होगा। अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी युनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रजनीश ने कहा कि वन विभाग द्वारा की जा रहीं यह सभी कानून विरोधी कार्रवाईयां साबित करती हैं कि वे महामारी की आपदा से जूझ रहे आदिवासी वनाश्रितों को राहत देने के बजाय समुदायों के उत्पीड़न के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे समुदायों द्वारा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल अगर लोग मजबुर होकर आंदोलन की राह पकडते हैं तो इसके लिये पूरी तरह से वन विभाग व प्रशासन जिम्मेदार होंगे।

शोषण

महिलाओं को अपमानित करने और लोगों को झुठे मुकदमों में फंसाने का आरोप

थारू जनजाति के लोगों का उत्पीड़न कर रहा वन विभाग

अमृत विचार, पलियाकलां-खीरी।

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित द्धवा नेशनल पार्क क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण किये लाकडाउन को वन विभाग द्वारा शोषण का हथियार बना लिया गया है। यहां बसे थारू जनजाति के गांवों में बसे थारू जनजाति के लोगों को लगातार झुठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वनाधिकार कानून और अपने पारम्परिक अधिकारों के तहत जलौनी लकड़ी व लघु वनोपज के एकत्रीकरण के लिये गयी महिलाओं को अपमानित करना और लोगों पर झठे मकदमें लादने सहित बडी रकम में अवैध तरीके से जुर्माने अंजाम दी जा रही हैं।



वनविभाग द्वारा खोदी गई खाई।

शिकायत है कि उनके गांव के चारों तरफ 6 से 7 मीटर गहरी खाई खोद दी गयी है। जिससे गांव वसूल करने की घटनायें लगातार के पानी की निकासी बाधित हो रही है और गांव के लोगों का अपने दिया है। इस ज्ञापन में थारू इसके लिये पूरी तरह से वन विभाग ग्राम कजरिया में लोगों की मवेशियों को जंगल में चराने के महिलाओं द्वारा चेतावनी भी दी गयी व प्रशासन जिम्मेदार होंगे।

लिये ले जाना मुहाल हो गया है। है कि अगर समय रहते वन विभाग परम्परागत वननिवासियों को लघ वनोपज के एकत्रीकरण की छट प्रदान कर दी गयी थी।

से लेकर कजरिया तक तमाम को राहत देने के बजाय समुदायों गांवों की महिलाओं ने इकट्ठा होकर उपजिलाधिकारी पलिया अध्यक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समुदायों द्वारा कर्तई तौर पर समिति को एक ज्ञापन सौंपा। जिस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर उपजिलाधिकारी द्वारा 2 दिन कल अगर लोग मजबूर होकर बाद बातचीत करने का आश्वासन आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो

ग्रामीणों से झुठ बोला जा रहा है की इन कारगुजारियों पर रोक कि कोरोना महामारी के कारण हए नहीं लगी तो उन्हें मजबर होकर लाकडाउन में उन्हें जंगल जाने की जमीन पर उतर कर आंदोलन इजाजत नहीं है। जबिक केन्द्रीय करना होगा। वहीं अखिल भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल वन-जन श्रमजीवी यूनियन के 2020 को ही आदेश जारी करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य रजनीश ने कहा कि वन विभाग द्वारा की जा रहीं यह सभी कानून विरोधी कार्रवाईयां साबित करती हैं कि वह महामारी की आपदा इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए सुरमा से जूझ रहे आदिवासी वनाश्रितों के उत्पीड़न के अवसर के रूप

थारू जन जाति की महिलाओं के साथ हुए अभद्रता के मामले में वन विभाग व पुलिस पर लिखा मुकदमा

संगठित आदि वासी महिलाओं के दबाव में वन विभाग व पुलिस विभाग पर की गई कार्यवाही

पलिया कला खीरी दधवा टाइगर रिजर्व की बनकटी रंज के कर्म चारियों ने आदि वासी जनजाति थारू ग्राम कजरिया में जमीनी विवाद के दौरान थारू संग की महिलाओं से कहा सुनी होते होते मारपीट शुरू हो गई गनीमत तो यह रही कि मौके पर ही तमाम सुरक्षा बल पहुंचकर मामले को शांत कराया आपको बता दें कि दुधवा की बनकटी रेंज के ग्राम कजरिया में जमीनी विवादित पर मामला इतना बिगड गया कि वन विभाग और थारू संघ की महिलाओं से झडप शुरू होने लगी धीरे धीरे काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित होते हुए वन विभाग का विरोध करने लगी इसी बीच थारू क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने दुधवा की बनकटी रंज कजरिया को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया इसी बीच राघवेंद्र पुत्र रामाश्रय रमेश पुत्र सियाराम निवासी कजरिया तथा शिवेंद्र की मां को वन कर्मियों ने बंधक बना लिया पीडित थारू महिलाओं ने कहा दो लोगों को बंधक बनाया था उनमे एक महिला भी मौजूद थी जिसको बनकटी रेंज के वन कर्मियों ने युवक व महिलाओं को बंदूक की बट व लाठी डंडों से पीट पीटकर लह लुहान कर दिया और महिला के कपड़े भी



फाड़ दिए वहीं तमाम आरोप लगाते हुए धारू जनजाति के संग महिलाओं ने इससे पूर्व भी हुए कई मामलों का खुलासा करते हुए वन विभाग को कोसा जिसमें अभी हाल ही में बनकटी रेंज में रंजर के ऊपर 70

हजार रूपये लेने का आरोप लगा था जिसकी खबर अखबारों में छपने के बाद से डिप्टी डायरेक्टर मनोज सोनकर ने जांच के आदेश दे दिए थे इसी पर घबराए बनकटी रंज के रेंजर साहब ने पीड़ित को 70 हजार रूपये वापस करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की रणनीति बनाने लगे या कहा जाए तो अपनी नौकरी बचाने के लिए पीड़ित को नोटिस भेज दी गयी वही मामला जब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो सभी विभागों के हाथ पांव फूल गए वहीं थारू संघ की महिलाओं ने एकत्रित होते हुए कार्रवाई की मांग की जिसमें वन विभाग द्वारा थारू आदि वासी महिला के साथ हुई बलात्कार की कोशिश व मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को सुबह संगठित आदि वासी महिलाओं के दबाव में थाना गौरीफंटा द्वारा तीन वन विभाग के अधिकारियों रंजर बनकटी आलोक शर्मा उपरंज अधिकारी सुनील शर्मा वन कर्मी नरेंद्र व गौरीफंटा चौकी के भट्ट को नामजद करते हुए आई पीसी 1860 की ध गरा 323 504 566, 154, 393, 376, 611, 364 और एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2ज्ञ) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है चोटिल महिलाओं को डाक्टरी जांच के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर के लिए रवाना भी कर दिया गया है।

3 वन कर्मियों समेत एसआई पर मुकदमा

प्रलियाकलां-खीरी **हिसं**

कजिरया में जंगल के पास स्थित भूमि पर धान बोने से मना करने पर वन किर्मयों व थारू महिलाओं के विवाद में गौरीफंटा पुलिस ने तीन वन किर्मयों सहित एसआई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वन कर्मियों में बनकटी रेंजर आलोक शर्मा, सुनील शर्मा, नरेंद्र के अलावा एसआई भट्टको नामजद किया गया है। उधर वन विभाग की तहरीर पर नामजद 25 ग्रामीणों पर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिलाओं को जिला अस्पताल भेजा गया है।

बता दें कि थारू क्षेत्र के गांव कजिरया में जंगल के पास स्थित ग्रामीणों द्वारा काफी समय से जोती जा रही वन भूमि पर पहुंचे वन किर्मियों ने ग्रामीणों को धान की फसल बोने से इनकार कर दिया था। फसल बोने से इनकार करने के बाद ग्रामीणों का वन किर्मियों पर विवाद शुरू हो गया था। वन किर्मियों का आरोप

कार्रवाई

- 25 नामजद ग्रामीणों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा
- थारू महिलाओं और वन कर्मियों में मारपीट के बाद कार्रवाई

है कि महिलाओं ने अभद्रता की और उनका असलहा छीनकर मारपीट की। वहीं थारू महिलाओं का आरोप है कि वन विभाग ने उनके कपड़े फाड़े और हमारे साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। थारू ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर फायरिंग का भी आरोप लगाया था। बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग कोतवाली पहुंचे थे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन वन कर्मियों सहित गौरीफंटा में तैनात एक एसआई पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर वन विभाग से दी तहरीर पर नामजद 25 ग्रामीणों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।